RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ८] मंगळवार, मार्च १५, २०१६/फाल्गुन २५, शके १९३७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १५ मार्च २०१६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. VIII OF 2016.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA WATER CONSERVATION CORPORATION ACT, 2000.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ८, सन २०१६।

महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २००१ का ३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् २००१ का महा. ३।

सन् २००१ का महा. ३ की धारा २५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० की धारा २५ की, उप-धारा (१) में,—

(क) " २००० करोड़ रुपयों की राशि " शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान में, " १०,००० करोड़ रुपयों की राशि " शब्द, अक्षर और अंक रखे जायेंगे ;

(ख) " पाँच वर्षों की अवधि " शब्दों के स्थान में, " पच्चीस वर्षों की अवधि " शब्द रखे जायेंगे ;

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. ३), महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक वनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं समेत और " महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम " स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, जलसंभर और जल संरक्षण कार्यों के संप्रवर्तन, परिचालन और तेजी से विकास तथा विनियमन के लिए विशेष उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम की धारा २५ की उप-धारा (१), यह उपबंध करती है कि, राज्य सरकार, इस निमित्त, समय-समय पर किए गए सम्यक् विनियोग द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन निगम के कृत्यों के निर्वहन के लिए निगम द्वारा अपेक्षित पूंजी के उसके शेअर के रूप में निगम की निधि में कुल २००० करोड़ रुपये की रक्कम का उपबंध करेगी और ऐसा अंशदान, निगम की स्थापना के दिनांक से पाँच वर्षों की विस्तृत अवधि में उपयुक्त किश्तों में अदा किया जायेगा। इस उप-धारा में यह भी उपबंध किए गए हैं कि, राज्य सरकार, इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग द्वारा निगम निधि में, आरंभ में ५०० करोड़ रुपये का अंशदान करेगी और अदा करेगी।

सन् २०१४-१५ (मार्च २०१५) तक, सरकार से निगम द्वारा १६०३.०८ करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई है। निगम ने, लगभग ४७८१ योजनाओं समेत २९० योजनाएँ जो कि राज्य सरकार द्वारा निगम को अंतरित की गयी है उन्हें उपक्रमित किया है। योजनाओं की लागत जिसमें निगम को अब तक ४४९१ योजनाओं के लिए ४२०२ करोड़ रुपयों का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है। अब तक १२६७ योजनाओं का कार्य पूरा किया गया है और लगभग ५८८२१ हेक्टर्स सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। ३५१४ योजनाओं में से १८४ योजनाओं का कार्य ९०८.४६ करोड़ रुपये की रकम पर प्रगति पर है और २३३० योजनाओं की १९०६.४१ करोड़ रुपये की राशि पर रोक लगा दी गयी है। रोक लगायी गयी २३३० योजनाओं में से जलयुक्त शिवार अभियान के अधीन आने वाली योजनाओं को छोड़कर अर्थात् १०१ योजनाओं की लागत ५९ करोड़ रुपये, शेष २२२९ योजनाओं की १८२३.३३ करोड़ रुपये की लागत निगम द्वारा रद्द कर दी गई है। इसलिए, इस समय, निगम के पास ९६७.४६ करोड़ रुपयों की शेष लागत के साथ १२८५ योजनाएँ चल रही हैं।

३. पिछले तीन वर्षों से मराठवाडा क्षेत्र सूखे का सामना कर रहा है, जिसके कारण भूगर्भजल स्तर में दिन-प्रतिदिन कमी आ रही है और क्षेत्र को जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। टँकरों के जरिए, साथ ही साथ पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। सरकार, इसके लिए बृहत् निधियाँ खर्च कर रही है। विदर्भ तथा कोकण क्षेत्र, पिछड़े अपूर्त क्षेत्रों में आते है। यद्यपि, इन क्षेत्रों में वर्षा के मौसम में भारी वर्षा हौती है, जल निकाय योजनाओं की अनुपलब्धता के कारण वर्षा जल बह जाता है। इसलिए, गर्मी के मौसम में जलदुर्लभता का सामना करना पड़ता है। सरकार, टँकरों के जरिए जल मुहैया करती है जिससे सरकार पर भारी खर्च पड़ता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए जल संरक्षण में भूगर्भजल स्तर साथ ही साथ लोगों, पशुओं, और कृषि की सिंचाई संभाव्यता में जल संभाव्यता सृजित करने में वृद्धि करना अत्यावश्यक है।

४. सरकार ने, वर्ष २०१४-१५ के दौरान ४१९.६६ करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। वर्तमान ९६७.४६ करोड़ रुपयों का कार्य प्रगति पर होने के कारण निगम के वर्तमान दायित्व का विचार करते हुए और कार्यों को पूरा करने के लिए, निकट के ४ वर्षों की अपेक्षित अवधि का विचार करते हुए ३१०० करोड़ रुपयों के निधि की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार, नए कार्यों को हाथ में लेना उचित रुप से अनिवार्य होगा, ताकि जल दुर्लभता की गंभीरता को कम किया जा सके और किसानों द्वारा की जानेवाली आत्महत्याओं को रोका जा सके। इस प्रयोजन के लिए ६९०० करोड़ रुपयों की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी।

५. निगम ने ६.१७ लाख हेक्टरों तक की सिंचाई संभाव्यता को सृजित करने की आयोजना की है, जिसमें से १.६१ लाख हेक्टर के कार्यों को पूरा करने के द्वारा सिंचाई के अधीन लाया गया है, जो हाँलाकि प्रगति पर है। तथापि, लगभग ४.५६ लाख हेक्टर के निकट भूमि अभी तक आगामी १० वर्षों के दौरान सिंचाई के अधीन लानी है इसलिए, राज्य में नवीन कार्यों की आवश्यकता है ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

६. उपर्युक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों का विचार करते हुए, सरकार उक्त अधिनियम की धारा २५ की उप-धारा (१) के उपबंधों में यथोचित संशोधन द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निगम द्वारा अपेक्षित पूँजी

के अपने शेअर के रूप में निगम निधि दो हजार करोड़ रुपयों से दस हजार करोड़ रुपये उक्त निगम को राज्य सरकार द्वारा उपबंधित राशि बढ़ाने के लिए और ऐसे अंशदान की किश्तें पाँच वर्षों के बजाय पच्चीस वर्ष की अवधि विस्तारित करना भी इष्टकर समझा गया है।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १० मार्च २०१६।

पंकजा मुंडे,
जलसंरक्षण मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

महाराष्ट्र जलसंरक्षण निगम अधिनियम, २००० के अधीन निगम के कृत्यों के निर्वहन के लिए निगम द्वारा अपेक्षित पूँजी के सरकारी शेयर के रूप में निगम निधि की राशि बढ़ाने के लिए प्रस्तुत विधेयक उपबंध करता है। राज्य सरकार, समय-समय से, सम्यक् विनियोजन करके, निगम निधि की कुल १०,००० करोड़ रुपयों की राशि का उपबंध करेगी।

राज्य सरकार के अंशदान के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय ८४० करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राशि राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में विधेयक के लागू होने पर राज्य की संचित निधि में से राज्य सरकार द्वारा अदा की जाएगी।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम (संशोधन) विधेयक, २०१६ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १५ मार्च २०१६।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.